



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर
न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01/10/2020 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mp.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01 / 10 / 2020 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची 'क'	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20-23
अग्रबद्धता उद्योग	पृष्ठ क. 24-30
अन्य	पृष्ठ क. 31-32

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015 36273-422, इंदौर, दिनांक 29-9-2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसारण में, मैं आशुतोष अवस्थी, अमायुक्त म.प्र. एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी 2020 से जून 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष 2020	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	330
फरवरी	328
मार्च	326
अप्रैल	329
मई	330
जून	332
औसत	1975-6=329

तथा इनका औसत 329 घोषित करता हूँ जो कि अधिसूचित नियोजनों के अमिकों के लिये औसत निर्धारित व्यव सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर अम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के अमिकों को दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक परिवर्तनशील महगाई भलता देय है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16, के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के अमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरे पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

(आशुतोष अवस्थी)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील महगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ कमाक 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, कमाक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम येतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई हैं।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे./पाच/2015

36273-422 दिनांक २९-९-२० के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 329 रहा है। यह छ. माही का औसत 324 रहा था अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 324 के ऊपर (329-324)=05 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25x05)=125.00 की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्धकुशल कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (329-241)=88 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25x88)=2200.00 प्रतिमाह या (2200-26) रूपये 84.62 प्रतिदिन एवं अर्कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (329-253)=76 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ते की कुल राशि (76x25)=1900.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (1900-26)=73.08 रूपये दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 देय है। (अनुसूचि अ.ब.स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/ 92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम येतन अधिनियम 1948 की घारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना कमाक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में मैं एतद् घारा शासकीय दैनिक येतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक येतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

શાન્તિકાળી - ૩

जिसमें परिवर्तनशील महगाई मत्ता भी सम्मिलित है (आकड़े रूपयों में) 67 अनुसूचित नियोजन में सारिक एवं दीनिक क्रेतन दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई मत्ता सम्मिलित है (आकड़े रूपयों में)

नियमनात्मक सूक्ष्म विनियोग	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय
संपर्क में अधिकता का वर्णन	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय
संपर्क में राहतापन्न	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय
अप्रैल	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय	विद्युतीय भारतीय

प्रतिमाह		प्रतिदिन		प्रतिमाह		प्रतिदिन		प्रतिमाह		प्रतिदिन		प्रतिमाह		प्रतिदिन	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक															
65000.00	250.00	1775.00	68.27	8275.00	318.26	318.00	318.26	6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00	
7057.00	271.42	2075.00	79.81	9132.00	351.23	351.00	351.23	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	366.03	356.00	
8435.00	324.42	2075.00	79.81	10510.00	404.23	404.00	404.23	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	
9735.00	374.42	2075.00	79.81	11610.00	454.23	454.00	454.23	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00	

- (1) अवधि पर्याप्त होने की वजह से इसका लाभ नहीं हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता।

(2) अवधि पर्याप्त होने की वजह से इसका लाभ नहीं हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता। इसका लाभ उसकी अवधि की वजह से ही हो सकता।

It will be seen from the following table that the number of deaths per 1000 population in each of the 12 districts of the State of Bihar during 1911-12 was as follows:

卷之三

1. विद्युत का उपयोग नियमित होना चाहिए।
2. विद्युत की जांच करने का समय नियमित होना चाहिए।
3. विद्युत का उपयोग नियमित होना चाहिए।
4. विद्युत की जांच करने का समय नियमित होना चाहिए।

परिशिष्ट-अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित हैं
भाग-एक

प्रमाणक	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्ग पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आइसकॉफी समिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी इट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी समिलित है / में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेट्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान समिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरु के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स समिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स समिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविधि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(फेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) बस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़,मुर्चम,लेट्राइट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,विलिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है,में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमाघृहो या थियेटरों में नियोजन
46	किसी बलब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हॉटर कटिंग सेल्स या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पैस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को)-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है,में नियोजन
63	किसी सुख्खा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग दो

1. वृषि में नियोजन

लाल

२५/१२/२०२०
(आशुलोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त

F
मध्यप्रदेश, इंदौर
३०८


स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए चून्तम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा –
 - (अ) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
 - (ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमरा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षत रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सीधे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमरा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना हैं जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक अन के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाशारी हो, उसे व्यवसाय तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।


अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए साधन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कानूनीय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अजित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकत होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाब्द किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अधिकारी का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आचार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सालान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय तकनीकी शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)
- (5) किसी भी स्थापना अधवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) को अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक समिलित है।
- (7) जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन संपूर्णिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यस्त कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में रामिलित नहीं हैं के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


22/01/2020
(आशुतोष अवस्थी)


अम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर



भूपेन्द्र

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/मृत्यु, बौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), छीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, वॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस—मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डिपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मैन, लायर्सैस्टर वेंडर, बालवाङी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़वाला, बॉडेवाली, बाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छाटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, दुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेंडर, अटेंडेन्ट, वार्ड सप्लायर, पैटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (फिलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमैन, वॉशरमैन, लौडिंग—अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेंडेन्ट, घागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई घुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेयर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, क्लाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, कलर्स, मोहर्रि, सहायक मिस्त्री, लाईनमैन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर—वाटर वर्क्स, कौबलर, हाफ प्रेस मैन, बिल मैन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लैकस्मिथ, सहायक मॉल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शोपरमैन, सहायक पैटर्न मैकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑइलर, सहायक टायर फिटर, घालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमैन, फायरमैन, लिपिक, पम्प अटेंडेन्ट, छीलबरो कैरियर, वर्चेरीमैन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोतल फिलर, कोप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमैन मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सप्रेलर मैन, मशीन अटेंडेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल वर्कर, रिवाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साइजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिप्स्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कलाई कर्मचारी, उन कलाई कार्य के कतिने, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉटर, मुशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, ई.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नस, लिफ्ट मैन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन

अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किल्न्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किल्न्स श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन, किल्न्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमैन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेविनशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिम्ब्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग कर्लक, थेसर, आया, पैकिंग वाले, लेआर मैन, शर्ट के पल्ते बिछाने वाला, लूप्सटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वैक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मैसन प्लम्बर, पॉलिश पेटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन (आईटीआई, पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मैकर, चार्जमैन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेन्डेंट, टर्नर, बोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ब्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मैन, राईस मिस्ट्री, सेलर मिस्ट्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरधी, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडवलर्क, सविव जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाङी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपर्यंत्री बिजली, वाघनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमैन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक रिमथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मैकर, हैमरमैन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनीशियन / लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेंडेण्ट मोटरमैन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्ट्री, सिरामिस्ट, दूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, काताई इंचार्ज, कंप्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेंडर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओटी, मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (यार्डन), दर्जी रोलर मिस्ट्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर), जोकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायवलीनडोजर, स्क्रेपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट / लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेशियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, दूल्स इंजार्च (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पैन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वैडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्रस मैकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सविव, सेल्समैन, आर्म्ड सिक्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, वल्ब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, कोष्टन, वारमैन, स्ट्र्यूबर्ड, बैकरी कारीगर, ओवन / भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, घातु गलाई-पीटना, तार खीचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मैकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, थेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गाईड सुपरवाईजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मैकेनाइजर हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी ।

उच्च कुशलः-

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम टेक/एम एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेअर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेअर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कंसलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मेनेजर, टेरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सार्विटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित अभिको के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशलः-

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, कलर्क ।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

कमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमैन, रलिंग मशीन मैन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बैकसीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ड्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, थेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्चहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, कार्कण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रूफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैबर पंचर, रूलिंग फिडर, विभिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायविलनर, मजदूर आक्रिजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।

२१/१२/२०२०
(आशुतोष अवस्था)

अम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अन्तर्राष्ट्रीय - ४

किसी स्टेट प्रोसेल निर्माण शाला में नियोजन मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिचयनशील महगाई मत्ता भी सम्मिलित है (आकड़े रखने में)

निवासी निवासी का जीवन परिवर्तन विवरण									
प्रतिवाह प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष									
दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000.00	250.00	1775.00	68.27	8275.00	318.26	318.00	भारतीय	65000.00	250.00
6705.00	257.85	2075.00	79.81	6780.00	337.69	338.00	पैकेज पट्टी	6705.00	257.85
8435.00	324.42	2075.00	79.81	10510.00	404.23	404.00	भारतीय, लोकार्थ, यलक्ष्मी, अंगौ	8435.00	324.42
9522.00	366.23	2075.00	79.81	11597.00	446.03	446.00	दोलसंग, मिस्ट्री, सीपर	9522.00	366.23
9775.00	374.42	2075.00	79.81	11810.00	454.23	454.00	उच्च कुरात	9775.00	374.42
10155.00	390.57	2075.00	79.81	12230.00	470.38	470.00	कटर्स	10155.00	390.57

Dr. अमराधोष अवधारणा। २५/९/२००८
क्रम अनुसार,
कर्तव्यपदेश, इटाई

卷一

卷之三

किसी मुद्दणालय में नियोजन समझौते में परित्यंतशील महाराष्ट्र भारती भी सम्मिलित है (आकड़े रूपयों में)

मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता	मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता
मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता	मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता
मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता	मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता
मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता	मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता
मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता	मारिशक	पद्धति	संवेदन	प्रयोगीता

8435.00	324.42	2075.00	79.81	10510.00	404.23	494.00	8435.00	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
7067.00	271.42	2075.00	79.81	9132.00	351.23	351.00	7067.00	7067.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00

—144—

मायापदेश, देवीनगर
श्रीमत आरजीपट्टी, १९८०

4

Sum

અનુભવી - ક

महायग्ने के विभिन्न शासकीय चिनागों में कार्यरत दैनिक वैतन-कमोंगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के नासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भरता समझित है। (आकड़े कृपया देखें)

न्यूनतम वेतन की परिवर्तनशील महागाई भवता		कुल वेतन		कार्यमें अधिकों का चर्चा		न्यूनतम शूल वेतन भवता		परिवर्तनशील महागाई भवता		कुल वेतन		कार्यमें रात्रिष्ठ शूल कर दीनेकरे		
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 1.04.2020 से 30.09.2020 तक		दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	216.66	1775.00	59.17	8275.00	275.83	276.00	216.66	1900.00	63.33	8400.00	280.00	280.00		
7057.00	235.33	2075.00	59.17	9132.00	304.40	304.00	235.33	2200.00	73.33	9257.00	305.56	305.56	305.56	
8435.00	261.16	2075.00	69.17	10510.00	350.33	350.00	261.16	2200.00	73.33	10635.00	354.49	354.49	354.49	
9735.00	324.50	2075.00	69.17	11810.00	393.66	394.00	324.50	2200.00	73.33	11935.00	397.83	397.83	397.83	

-Inhalat-

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/ 36423-672 ,

इन्दौर, दिनांक 29-9-2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं आशुतोष अवस्थी, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी 2020 से जून 2020 तक के माहों के लिये निमानुसार घोषित करता हैं:-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी	1016
फरवरी	1010
मार्च	1007
अप्रैल	1014
मई	1019
जून	1018
औसत सूचकांक	$6084 \div 6 = 1014$

तथा इनका औसत 1014 घोषित करता हू। जो कि परिशोधित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्धारित व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिकिंग इडेक्स नबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 01.10.2020 से 31.03.2021 तक परिवर्तनशील महगाई भत्ता देय है।

29(9)2020
(आशुतोष अवस्थी)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

अम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/10/2020 से
31/03/2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों
के संबंध में विवरणात्मक टीप

अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अतार्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

**अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./पाच./2015/.....
364.23-672 दिनांक 20-2-2020 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1014 रहा है। छ. माही में मात्र किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 983 के ऊपर (1014-983)=31 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 6/- बिन्दु प्रतिमाह के मान से (31×6) =186.00 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1988-87=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि (1014-768)=246 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (246×6)=1476.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन ($1476 \div 30$)=49.20 यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन $5350+1476=6826.00$ तथा $6876 \div 30$ रुपये 227.53 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है। (अनुसूचि द)**

△
j

अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरे	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन	क्षमता में श्रमकों का वर्ग अप्र. मर. दैनिक दरे	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन	क्षमता में शर्तांक वा कर दैनिक दरे
------------------------	----------------------------	----------	---	------------------	----------------------------	----------	--

प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिगाह	प्रतिवर्ष	प्रतिवर्ष	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिवर्ष	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिवर्ष	प्रतिदिन	
दिनांक 1.04.2020 से 30.09.2020 तक					1.10.2020 से 31.03.2021 तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5350.00	178.33	1290.00	43.00	6640.00	221.33	221.00	30400.00	5350.00	178.33	1475.00	49.20	6826.00	
													227.53
													228.00

स्पष्टीकरण— परिवर्तनशील महगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील महगाई भत्ता, जो लेवर व्यारो, शिमला हारा नियमित आधिकार भारतीय कृषि श्रमिक चाम्पेक्टा मूल्य यूनिकोक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आगार अंतकी के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत बढ़ि के अनुपात में 01 अप्रैल तक 01 अप्रैल तक 01 अप्रैल तक 06 क्षमता (जू. रुपये) के मान से देख होगा। 01 अप्रैल से देख परिवर्तनशील महगाई भत्ता की शामिल वेतन कुलाई से विस्तर तक 01 अप्रैल से देख परिवर्तनशील महगाई भत्ता की शामिल वेतन कुलाई से जावेगी। इसी प्रकार 01 अप्रैल से देख परिवर्तनशील महगाई भत्ता की शामिल वेतन के आगार पर की जावेगी, जिसकी धौपणा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त वेतन प्रधिकारी कहा प्रकाशित की जावेगी।
- मजदूरी विवरण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को रोकार्ड अप करके द्वि दैनिक एवं वार्षिक मजदूरी विवरित की जावेगी। इस विवरण के परिपत्र क्रमांक ९-७/२००६/विवर/दार. दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से ज्यादा दोहर समर्पित किया जावेगा।
- (2) अधिकृत न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर परीक्षल कापात नहीं जावेगा, यदि विचमन वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की प्रतिवर्तित दर से अधिक है, तो यह किसी भी वेतन में कम नहीं की जावेगी। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 1(1-ए))
- (3) इस अधिनियमा के अन्तर्गत वेतन दो महिता एवं पुलाई के लिए एक समान नियत है।
- (4) कृषिनियमोजन के अधिकारिक सभी नियोजनों के लिए एक समान नियत है।
- (5) अन्तीम परिकल्पित फिरे अनुसार विश्वाम दिवय के संबंध में पारिषद्मिक सम्मिलित है।

(आर्योष अवैष्मी) (1000)
श्रम आयुक्त,
मायप्रदेश, इंदौर

५८३

५८५

अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015 3673-922

इंदौर, दिनांक २९-९-२०२०

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की घरा 4 (2) अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, आशुतोष अवस्थी, अमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2020 से जून 2020 तक के माहों के लिए सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जनवरी	330
फरवरी	328
मार्च	326
अप्रैल	329
मई	330
जून	332
(औसत)	1975÷6=329

तथा उपतानुसार इनका औसत 329 घोषित करता हूँ। जो कि फिसी तमाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक औसत निर्धारित व्यय सूचकांक (मेन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (मप्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय रहेगा।

२९/९/२०२०

(आशुतोष अवस्थी)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनर्रक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए-१४-१६-ए दिनांक ५.६.९७ (म.प्र. राजपत्र दिनांक ७.६.९७) एवं अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ ४(सी) १-२०१३ दिनांक ८.१२.२०१४ (म.प्र. राजपत्र भग (ग) दिनांक १२ दिसंबर २०१४) के अंतर्गत किसी तांबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक ३/११/अ./पाच/२०१५.....
३६७३ - २२२ दिनांक २९-३-२०२० के अनुसार जनवरी २०२० से जून २०२० तक की अवधि में अखिलभारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत ३२९ रहा है। गत छ: माही का औसत ३२४ रहा था अत इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (३२९-३२४)=०५ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम रूपरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये २५/- प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 0.5 = 12.50$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में २३९ (२००१ =१००) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $329 - 239 = 90$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $25 \times 90 = 2250.00$ प्रतिमाह या $2250 \div 26 = 86$ रूपये ५३ पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह ७३२५.०० रूपये या $7325 \div 26 = 281$ रूपये ७३ पैसे प्रतिदिन दिनांक १.०.२०२० से ३१.०३.२०२१ तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक निम्नानुसार देय है:-

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राऊण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया छापा करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू, गिरिधर तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायवर (वालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, चर्का, डिलिवरी	5075.00	195.00	2250.00	86.53	7325.00	281.73	282.00
2.	द्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूँछों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	2250.00	86.53	7195.00	276.73	277.00
3.	ड्रायवर (वालक) भारीवाहन, एकाउन्टेंट, मूलीम, कैशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेल्कर्लक	5225.00	200.96	2250.00	86.53	7475.00	287.50	288.00

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिषेत्र क्रमांक एफ 9-7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

- अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकलिपत किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तरंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित ओट्टोगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तरंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तरंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता में

हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भल्ला मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्तो की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

4. निर्धारित मासिक वेतन केलेडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन समणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर समणित किया जायेगा।
5. जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भल्ला प्रति सप्ताह जिसे आगे गारेंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अंजित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अंजित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षैति या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


22/9/2010
(आशुतोष अवस्थी)


अम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर


अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/36923-37172

इंदौर, दिनांक 29-9-2020

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/513/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेखर व्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, में आशुतोष अवस्थी, अमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी 2020 से जून 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है –

माह / वर्ष 2020	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	330
फरवरी	328
मार्च	326
अप्रैल	329
मई	330
जून	332
(औसत)	1975÷6=329.20 (329)

अतः विगत छ. माही का औसत 329 घोषित करता है जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंहेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर अम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

29/9/2020

(आशुतोष अवस्थी)

अम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील महगाई भत्ते की समाजना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप
अगरबत्ती उद्योग

अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं अम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

अमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/... 36923-37172 दिनांक २३-२०-२०२० के अनुसार, जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 329 रहा है। यह छँ माही का औसत 324 रहा था अतः इसके कारण यह छँ माही में मान्य किय गये अखिल भारतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर (329-324)=05 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील महगाई भत्ते रूपये 25 प्रतिविन्दु प्रतिमाह के मान से (25X5)=125.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तादनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि (329-241)=88 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तन ले ले महगाई भत्ते की कुल राशि (25X88)=2200.00 प्रतिमाह या (2200÷28)=84 रूपये 61 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसा प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसा प्रति हजार दिन्दु के मान से कुल विन्दु 88 पर (88 X25=22.00.) 22 रूपये परिवर्तनशील महगाई भत्ता दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(22.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति विन्दु)	रूपये 43.40
ब. सुगंधित(सेटेड)	22.00	(22.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति विन्दु)	रूपये 44.00

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की घारा 12 (1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अग्रवलती गिनना, बटर पेपर की डिली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों और चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

यिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	20.48	(रु.17.60)	रु.38.08
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.17.60)	38.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.17.60)	38.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	27.23	(रु.22.00)	49.23
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	36.58	(रु.29.04)	65.62
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	41.54	(रु.35.20)	76.74
			100 पैसा प्रति 250 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु.35.20)	78.32
			100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	52.76	(रु. 44.00)	96.76
			100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	

सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.17.60)	38.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु.22.00)	48.60
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	33.00	(रु.29.04)	62.04
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	34.48	(रु.29.04)	63.52
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति विन्दु)	
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	37.03	(रु.29.04)	66.07
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति विन्दु)	
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु.35.20)	78.32
			100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति विन्दु)	
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	51.00	(रु.44.00)	95.00
			100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति विन्दु)	
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	54.47	(रु.44.00)	98.47
			100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति विन्दु)	

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर डिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना।

चिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	16.98	(रु.14.96)	31.94
			100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति विन्दु)	
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	17.80	(रु.14.96)	32.76
			100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति विन्दु)	
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	21.30	(रु.17.60)	38.90
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति विन्दु)	
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	22.19	(रु.17.60)	39.79
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति विन्दु)	

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	48.60
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	28.70	(रु.22.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	50.70

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु.3.52) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	7.37
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु.4.40) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	8.84
3. पुंगली बनाने के कागज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु.6.16) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	42.50

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
1.10.2020 से 31.03.2021 तक

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राऊण्ड अप में दैनिक दरें	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		
1.	पुढ़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भूत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	2200.00	84.61	8139.00	313.03	313.00
2.	टाईफिस्ट, क्लर्क, पेटी भरनेवाला मसाला तौलने वाला	7057.00	271.42	2200.00	84.61	9257.00	356.03	356.00
3.	एकाउटेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, मिस्ट्री, ड्राइवर, पेटीबनाने वाला	8435.00	324.42	2200.00	84.61	10635.00	409.03	409.00

नोट:- अग्रबद्धी उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्राइवर, पेटी भरने वाला, मसाला तौलनेवाला, अकाउटेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईफिस्ट, क्लर्क, भूत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 9-7 / 2006 / नियम / घार, दिनांक 20 शितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महगाई भत्ता (जी.डी.ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिविंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति विवृ प्रति माह की दर से सदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ. माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमश्त 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार समाजित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सकाम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरे न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्वाम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित हैं।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। यहां यदि एक दिन की मजदूरी समाजित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अनिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 ने बताये गये अनुसार विश्वाम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


२१/१/२०२०
(आशुतोष अवस्थी)

 श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर




अमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्वे./पांच/2015/ 37173-312

इंदौर, दिनांक 29-9-2020

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, बल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप अमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

2.1. Summary

As mentioned above, the main purpose of this paper is to propose a new approach to the problem of determining the best way to estimate the parameters of a model.

The first step in this approach is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The second step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The third step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The fourth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The fifth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The sixth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The seventh step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The eighth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The ninth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The tenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The eleventh step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The twelfth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The thirteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The fourteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The fifteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The sixteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The seventeenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The eighteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The nineteenth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The twentieth step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The twenty-first step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The twenty-second step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

The twenty-third step is to determine the best way to estimate the parameters of a model by using the information contained in the data.

32. संचालक / समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर
33. समस्त सहायक आयुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल.
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



22/9/2020
(आशुतोष अवस्थी)


श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
